भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 700**

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**औषधीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन**

700. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2020-21 से औषधीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त औषधीय पौधे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की केन्द्र की औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन योजना में किसानों की भूमि पर कृषि और प्राथमिकता प्रदत्त औषधीय पौधों, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना और अन्य घटकों को सम्मिलित नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार औषधीय पौधों को प्रोत्साहित और उन्हें विकसित करने की उक्त योजना के अधिदेश पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): जी नहीं, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है:

(i) औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/सेमिनार/सम्मेलन आदि जैसी सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियाँ। (आईईसी)
(ii) औषधीय पौधों की खेती के लिए पौध रोपण सामग्री जुटाने के लिए नर्सरियों की स्थापना।
(iii) औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली तथा पिछली कड़ी ।(एकीकृत घटक)
(iv) स्व स्थाने-संरक्षण/पूर्व स्थिति-संरक्षण।
(v) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों /वन पंचायतों/पंचायतों/(जेएफएमसी)जैव विविधता प्रबंधन समितियों /(बीएमसी)स्वयं सहायता समूहों के साथ आजीविका (एसएचजी)संबंधी लिंकेज।
(vi) अनुसंधान और विकास।

(vii) औषधीय पौधों के उत्पादन का प्रचार, विपणन और व्यापार।

हालाँकि, पूर्व में, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

(i) किसानों की भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों की खेती।
(ii) गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री की खेती और आपूर्ति के लिए पिछले लिंकेजों के साथ नर्सरियों की स्थापना।
(iii) अगले लिंकेजों के साथ कटाई के बाद का प्रबंधन।
(iv) प्राथमिक प्रसंस्करण।
(v) विपणन अवसंरचना आदि।

(ख): जी हां, एनएमपीबी समय-समय पर मांग और आपूर्ति अध्ययन का समर्थन करता है तथा इसने वर्ष 2017 के दौरान एक व्यापक सर्वेक्षण किया था और "भारत में औषधीय पौधे: उनकी मांग एवं आपूर्ति का आकलन" नामक पुस्तक संकलित की थी। देश में जड़ी-बूटियों/औषधीय पौधों की वार्षिक मांग वर्ष 2014-15 में लगभग 5,12,000 मीट्रिक टन अनुमानित की गई थी। इसके अलावा, इस अध्ययन के अनुसार, व्यापार की प्रथाओं में लगभग 1178 औषधीय पौधों की प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जिनमें से 242 प्रजातियों का उच्च मात्रा में लगभग 100 मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक कारोबार होता है, विवरण यहां उपलब्ध हैं: https://nmpb.nic.in/sites/default/files/Projects/Medicinal_Plants_in_India_An_Assessment_of_their_Demand_and_Supply.pdf

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 (सांख्यिकी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, 7,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की गई और इनका 6,45,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ।

(ग): जी हाँ, यह सत्य है कि औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस) में किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना और अन्य घटकों को शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 'औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली तथा पिछली कड़ी'- एकीकृत घटक को जोड़ा गया है, जिसके तहत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है:

• खेती के लिए औषधीय पौधों की पौधरोपण सामग्री जुटाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री हेतु अवसंरचना।
• किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
• औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य बढ़ाने, लाभप्रदता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना।
• कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

अब तक, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम तथा उत्तराखंड के लिए एकीकृत घटक के अंतर्गत 442.50 लाख रुपये की राशि की 04 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां, औषधीय पौधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एनएमपीबी की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के अधिदेश को जागरूकता निर्माण कार्यक्रम, एक्सपोजर दौरों, हितधारकों की शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसी आईईसी गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय ने 1143.54 लाख रुपये के स्वीकृत बजट के साथ औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं जैसे संरक्षण, खेती, कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन के बारे में किसानों सहित हितधारक समूहों को जागरूक करने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों के लिए 127 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती के लिए पौधरोपण सामग्री जुटाने हेतु नर्सरी की स्थापना के लिए 82 परियोजनाओं के लिए 1972.31 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। विस्तृत जानकारी **संलग्नक- II** में दी गई है।

*****

**संलग्नक-I**

**वित्तीय वर्ष** 2023-24 **से अब तक औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस) के 'औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली तथा पिछली कड़ी'- एकीकृत घटक के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण।**

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **स्वीकृत राशि (लाख रु. में)** |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 120.00 |
| 2 | जम्मू व कश्मीर | 82.50 |
| 3 | मिजोरम | 120.00 |
| 4 | उत्तराखंड | 120.00 |
| | **कुल** | **442.50** |

**संलग्नक-II**

**वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक आईईसी गतिविधियों और नर्सरियों की स्थापना के लिए देश भर में विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण।**

**(लाख रु. में)**

| **क्र. सं.** | **राज्य** | **सीएसएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (2019-20 से 2023-24)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **आईईसी गतिविधियाँ** | **स्वीकृत राशि** | **पौधशालाएं** | **स्वीकृत राशि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3 | 34.00 | 2 | 100.15 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 14.20 | 1 | 18.90 |
| 3 | असम | 8 | 141.14 | 5 | 373.55 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 0 | 0.00 | 1 | 18.90 |
| 5 | दिल्ली | 14 | 126.34 | 9 | 149.75 |
| 6 | गोवा | 0 | 0.00 | 2 | 7.35 |
| 7 | गुजरात | 1 | 17.00 | 3 | 47.25 |
| 8 | हरियाणा | 3 | 9.00 | 2 | 37.80 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 22.58 | 4 | 117.48 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 5 | 42.00 | 1 | 18.38 |
| 11 | झारखंड | 3 | 11.80 | 0 | 0.00 |
| 12 | कर्नाटक | 6 | 109.90 | 3 | 38.7375 |
| 13 | केरल | 5 | 30.50 | 4 | 40.30 |
| 14 | लद्दाख | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 7 | 70.40 | 2 | 88.10 |
| 16 | महाराष्ट्र | 9 | 76.92 | 7 | 176.60 |
| 17 | मणिपुर | 2 | 17.20 | 2 | 118.90 |
| 18 | मेघालय | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | मिजोरम | 1 | 5.00 | 4 | 50.30 |
| 20 | नगालैंड | 0 | 0.00 | 1 | 3.125 |
| 21 | ओडिशा | 9 | 28.25 | 5 | 69.675 |
| 22 | पुडुचेरी | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 |
| 23 | पंजाब | 7 | 94.00 | 3 | 109.45 |
| 24 | राजस्थान | 3 | 11.00 | 1 | 18.90 |
| 25 | सिक्किम | 0 | 0.00 | 1 | 18.90 |
| 26 | तमिलनाडु | 17 | 79.80 | 1 | 18.90 |
| 27 | तेलंगाना | 1 | 10.00 | 7 | 83.55 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 9 | 92.51 | 3 | 74.05 |
| 29 | उत्तराखंड | 5 | 40.00 | 3 | 29.9625 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 5 | 45.00 | 4 | 138.35 |
| **कुल** | | **127** | **1143.54** | **82** | **1972.31** |